<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर</u>

(उपस्थितः– श्री कुमार गुंजन, प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर)

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 390 / 2026</u>

(पालीगंज थाना कांड संख्या– 31 / 2026)

1. गोलु कुमार, पिता– परमा मिस्त्री उर्फ परमानंद मिस्त्री,
2. संतोष कुमार, पिता– परमा मिस्त्री उर्फ परमानंद मिस्त्री, एवं
3. प्रमोद शर्मा उर्फ प्रमोद विश्वकर्मा, पिता– स्व0 तेतर मिस्त्री,

सभी निवासीः ग्राम – भेड़हरिया इंग्लिश, थाना– पालीगंज, जिला– पटना;

..... आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री अनुपम प्रभात श्रीवास्तव, (अधिवक्ता)

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री रामकेश्वर प्रसाद (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

———————————————————————————————————————

<u>आदेश</u>

<u>01.04.2026</u> पालीगंज थाना काण्ड संख्या– 31 / 2026, जो भा0न्या0सं0 की धारा 126(2), 115(2), 74, 79, 352, 351(2), 3(5) से संबंधित है, के याची अभियुक्तगण की ओर से इस काण्ड में उनकी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

काण्ड के सूचक अंगेश कुमार, के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार अभियेाजन कथानक सार रूप से इस प्रकार है कि दिनांक 18.01.2026 को लगभग 8:30 बजे शाम में वह बालु घाट पर काम कर रहा था, उसी बीच गोलु कुमार का कही पर मोबाईल गिरा दिया तथा मोबाईल लेने का आरोप लगाते हुए अभियुक्त गोलु कुमार, संतोष कुमार, राजनाथ मिस्त्री एवं प्रमोद शर्मा सभी मिलकर उसकी मां को लाठी–डंडा एवं रड से मारा, जिससे सिर फट गया एवं उसके भाई रूदल कुमार को भी फैट–मुक्का से मारा, जिससे उसकी मां बेहोश हो गयी थी। आसपास के लोगों द्वारा बीच–बचाव कर झगड़ा शांत कराया गया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस कांड के संदर्भ में इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण को इस कांड में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण माननीय न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर

(उपस्थितः– श्री कुमार गुंजन, प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर)

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 390/2026

(पालीगंज थाना कांड संख्या– 31/2026)

गोलु कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

.....

लगातार –2–

01.04.2026

अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा 17, 18 एवं 19 के मुताबिक दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। पक्षकार आपस में गोतिया है एवं इसी झगड़े को लेकर दोनों पक्षों ने अलग–अलग केस एक–दूसरे पर किया है। दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद भी है। कांड दैनिकी के पैरा 24 के मुताबिक डॉक्टर ने जख्म को सामान्य प्रकृति का पाया है। आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर दस हजार के दो स्थानीय प्रतिभुओं से समर्थित बंध पत्र एवं दं0प्र0सं0 की धारा 438(2) में उपबन्धित शर्तों के अनुपालन के लिए वचन पत्र दिये जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करे।

लेखापित

Sd/-

(श्री कुमार गुंजन)

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

व्यवहार न्यायालय दानापुर।